अनवान श्री बिलेश्वर महादेव मंदिर के उपासक एवं भक्तगण एवं बिलेश्वर महादेव मंदिर समिति, शिवतलाव के प्रतिनिधिगण बनाम तोलाराम व अन्य

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली

पीठासीन अधिकारी : जितेन्द्र कुमार पाण्डे आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 01/2022

जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2022/76

प्रार्थीगण		अप्रार्थीगण
बिलेश्वर महादेव मंदिर के उपासक एवं भक्तगण एवं बिलेश्वर महादेव मंदिर समिति, शिवतलाव के प्रतिनिधिगण :— 1. जसराजसिंह पुत्र भैरुसिंह 2. अमृतसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह 3. रघुनाथसिंह पुत्र चिमनसिंह 4. बाबुसिंह पुत्र देवीसिंह 5. किशोरसिंह पुत्र चिमनसिंह जातिगण राजपुरोहित 6. अर्जुनलाल पुत्र वरदाराम जाति रावल 7. रतनसिंह पुत्र मोड़सिंह जाति राजपुरोहित 8. जगदीश कुमार पुत्र मोहनजी जाति सुथार 9. फूलपुरी पुत्र रामपुरी जाति गोस्वामी 10. नारायणलाल पुत्र देवाराम जाति कुम्हार निवासी शिवतलाव, तहसील बाली जिला पाली राज.	बनाम	1. तोलाराम पुत्र भूराराम जाति रेबारी, निवासी लाटाडा तहसील बाली जिला पाली राज. 2. तहसीलदार महोदय, बाली जिला पाली राज.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम, 1970 विरुद्ध आवंटन आदेश क्रमांक 66/1028 संवत 2022 दिनांक 29.01.1965 जिसे तहसीलदार महोदय, बाली द्वारा पारित कर अप्रार्थी संख्या 1 को ग्राम लाटाड़ा के गत खसरा नम्बर 99 में से 10 बीघा भूमि का आवंटन कर खातेदारी दी गई।

उपस्थिति : अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित

<u>–:निर्णय:–</u>

दिनांक: 29.04.2024

प्रकरण इस प्रकार से है कि श्री बिलेश्वर महादेव मंदिर के उपासक एवं भक्तगण ने एक प्रार्थना पत्र नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व(कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम) 1970 के अंतर्गत तोलाराम पुत्र भूराराम के विरुद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र अनुसार गांव लाटाड़ा में गत खसरा संख्या 99 में से 10 बीघा भूमि का अप्रार्थी संख्या एक को आवंटन किया जाना बताते हुए सीधे ही खातेदारी का म्यूटेशन संख्या 19 दिनांक 22 जनवरी 1986 को नायब तहसीलदार बाली द्वारा स्वीकृत किया गया है वस्तुतः आवंटन होने पर सर्वप्रथम गैर खातेदारी अधिकार दिए जाते हैं लेकिन हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थी संख्या एक को गैर खातेदारी अधिकार कभी भी दिए नहीं गए साथ ही उपरोक्त आवंटन बाबत किसी प्रकार का कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं हुआ है और न ही ऐसा रिकॉर्ड अस्तित्व में होना ज्ञात हुआ है। उपरोक्त आवंटन आदेश की प्रमाणित प्रति हेतु आवेदन भी किए गए लेकिन रिकार्ड में आवंटन आदेश उपलब्ध नहीं होना बताया गया और प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत आवेदन को फाइल कर दिया गया।वक्त आवंटन अप्रार्थी संख्या एक नाबालिग था विधिक रूप से नाबालिग को आवंटन और नियमन नहीं किया

अ. जिला कलक्टर बाली (पाली)

CamScanner

अनवान श्री बिलेश्वर महादेव मंदिर के उपासक एवं भक्तगण एवं बिलेश्वर महादेव मंदिर समिति, शिवतलाव के प्रतिनिधिगण बनाम तोलाराम व अन्य

जा सकता अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर लाटाड़ा के गत खसरा नंबर 99 रकबा 10 बीघा हाल खसरा नंबर 1034 रकबा 1.73 हेक्टेयर भूमि के आवंटन को निरस्त फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय उपखंड अधिकारी बाली से आवंटन रिकॉर्ड मंगवाया गया। तहसीलदार बाली से आवंटित भूमि की वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट मंगवाई गई जिसे प्राप्त होने पर पत्रावली में शामिल किया गया। तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार आवंटित भूमि पर राजस्व रिकॉर्ड अनुसार तोलाराम के वारिसान का नाम खातेदारी दर्ज है पुराने रिकॉर्ड की जांच करने पर यह तथ्य है कि उक्त भूमि तहसीलदार के आदेश दिनांक 29 जून 1965 की पालना में म्यूटेशन संख्या 19 दिनांक 23 जनवरी 1983 राजस्व अभियान में नायब तहसीलदार बाली द्वारा श्री तोलाराम वल्द भूराराम जाति रेबारी को 10 बीघा खातेदारी दर्ज की गई। तोलाराम के फौत होने पर उनकी वारिसानो के नाम म्यूटेशन दर्ज किया गया जो कि वर्तमान में खातेदार हैं। वर्तमान में उक्त भूमि पर मौके पर लगभग तीन बीघा समतल व कास्त की जाने योग्य एवं शेष भूमि पर बबूल खडे हैं आवंटन आदेश एवं आवंटन संबंधी अन्य कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं होना बताया गया।

हमने प्रार्थना पत्र एवं उसके साथ संलग्न दस्तावेज एवं तहसीलदार बाली की रिपोर्ट का गहनता से अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। यह स्पष्ट है कि 1983 में आवंटन किया गया एवं तत्पश्चात खातेदारी दी गई है ऐसी स्थिति में एक खातेदार काश्तकार के विरुद्ध नियम 14(4) के अंतर्गत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित नहीं है। अतः प्रार्थी गण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14(4) राजस्थान भू राजस्व(कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम) 1970 अस्वीकार किया जाता है।

निर्णय आज दिनाक 29.04.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फेशल शुमार की जाकर नंबर से कम हो ।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

28/4/24
(जितेन्द्र कुमार पाण्डे)
R.A.S
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
बाली

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

CamScanner